भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1245
जिसका उत्तर गुरुवार, 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

गोवा में केन्द्रीय नोटरी की नियुक्तियाँ

1245. श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय नोटरी उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) गोवा में नोटरी की वर्तमान आवश्यकता की तुलना में नियुक्त केन्द्रीय नोटरी की कुल संख्या से संबंधित आँकड़े क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा गोवा के लिए केन्द्रीय नोटरी नियुक्तियों हेतु अपनाई जाने वाली विशिष्ट चयन प्रक्रिया क्या है;

(घ) गोवा में नोटरी आवेदन और नियुक्ति प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा का और इसके चरणों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) क्या गोवा में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय नोटरी पदों की संख्या बढ़ाने की योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 138वीं और 140वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की संख्या की समीक्षा की गई है और ऐसी समीक्षा के आधार पर गोवा सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की संख्या को नोटरी (संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से संशोधित किया गया है ।

(ख) से (घ) : 320 आवेदकों, जिनके ऑनलाइन आवेदन 31.03.2023 तक प्राप्त हुए थे, को ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । उक्त साक्षात्कार में 297 अभ्यर्थी उपस्थित हुए । साक्षात्कार बोर्डों द्वारा आवेदकों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के आधार पर, 296 अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा गोवा राज्य के लिए नोटरी के रूप में अनंतिम रूप से नियुक्त किया गया है ।

(ङ) : गोवा राज्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की संख्या में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****